286

संख्या– /XVIII(1)/2015-1(6)/2014

प्रेषक,

जे0पी0 जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजस्व अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांकः 05 फरवरी, 2016

विषयः– **नवसृजित तहसील दुग–नाकुरी, जनपद बागेश्वर के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2906/5–50/रा0परि0/2014 दिनांक 01 सितम्बर, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि नवसृजित तहसील दुग–नाकुरी (मुख्यालय वनलेख), जनपद बागेश्वर के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु ₹ 151.18 लाखं के परीक्षणोपरान्त ₹ 151.14 लाख को औचित्यपूर्ण बताते हुए उक्त के अतिरिक्त ₹ 9.83 लाख के कार्यों को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार किये जाने पर प्रदत्त सहमति के क्रम में अनावासीय भवनों के निर्माण की कुल लागत ₹ 160.97 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रश्नगत कार्य के संचालन हेतु प्रथम किश्त के रूप में ₹ 65.00 लाख (₹ पैंसठ लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर नियमानुसार व्यय हेतु रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
2. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
3. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।
4. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा ली जाय और विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
5. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
6. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति में) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी के सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।
7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।
8. आगणन में नॉन शैड्यूल की मद में धनराशि व्यय करते समय Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2–

9. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
10. निर्माण कार्यो के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की नियमित एवं सघन समीक्षा/अनुश्रवण किया जाय। व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति की आख्या निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
11. प्रत्येक निर्माण कार्य के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(1)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 कराया जाय, यदि कार्यदायी संस्था राजकीय विभाग भी हो तो भी समय सारणी अनुसार कार्य पूर्ण कराने की दृष्टि से निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 किया जाय।
12. उक्त धनराशि कोषागार से तत्काल आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय। धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2016 से पूर्व उपभोग कर लिया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या –06 लेखाशीर्षक 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूजीगत परिव्यय–60–अन्यभवन–आयोजनागत –00–051–निर्माण–03–तहसीलों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्यो के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–118P/XXVII(5)/15-16 दिनांक 01 फरवरी, 2016 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जे0पी0 जोशी)
अपर सचिव

संख्या–156 (1)/XVIII(1)/2015 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी ओबराय मोटरर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा देहरादून।
2. महालेखाकार आडिट वैभव पैलेस, इन्द्रा नगर, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बागेश्वर।
6. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–5/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
8. अधिशासी अभियंता, ग्रा0 सेवा विभाग, बागेश्वर।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0पी0 जोशी)
अपर सचिव